

(राजस्थान १-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 138 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्व ग्राम <u>सोमना</u> पंचम <u>खडा</u> मू०अ०नि०यूत्त <u>आबूरोड</u> तहसील <u>आबूरोड</u>						
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	45	439 440 441 <u>वर्गो 24</u> कि० 14 कुल रकबा	3.6165 है.	नीवाराम पुत्र बाबू हि. 118 जाति गरासिया सा. देह खातेदार मन्दि हिस्सा 1/8 (पूर्व खाता) राजस्थान सरकार ग्रामीण बैंड शाखा किवली शीघ्र खाता बदलत जमातदी	नीवाराम पुत्र बाबू हि. 118 जाति गरासिया सा. देह खातेदार मन्दि हि. 118 (पूर्व खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंड शाखा किवली शीघ्र खाता बदलत जमातदी	
<p>मुताबिक मिसल/जमाबन्दी संवत् <u>2075-2678 (20/9)</u> में <u>स्थापित</u> उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० मू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय <u>आबूरोड</u> के सम्मक्ष श्रवण योग्य है।</p> <p><u>Bhanu</u> 24/12/25 पटवारी (प्र. अ.) पटवार मण्डल <u>खडा</u> तहसील-<u>आबूरोड</u> (सिरोही)</p>				<p>साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।</p> <p>दिनांक <u>24/12/25</u></p> <p>ह० मू०अ०नि० <u>खडा</u></p>		<p>प०हल्का <u>खडा</u> मू०अ०नि० <u>आबूरोड</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण थन्डोबस्त संक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय <u>आबूरोड</u> को सूचित प्रेषित है।</p> <p>दिनांक <u>24/12/25</u> तहसील-<u>आबूरोड</u> जिला-<u>सिरोही</u></p>
<p>दिनांक <u>24/12/25</u> तहसील-<u>आबूरोड</u> (सिरोही)</p>				<p>प०हल्का <u>खडा</u> मू०अ०नि० <u>आबूरोड</u> राजस्व अधिकारी <u>खडा</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमाबन्दी में अमल किया जाये <u>खडा</u> उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड कार्यालय आबूरोड ह० उपखण्ड अधिकारी</p>		